रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1971/चैत्र 12, 1893

No 50] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1971/CHAITRA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 2nd April 1971

SUBJECT :—*Export Policy for Iron & Steel and Ferro-Alloys during the licensing period April, 1971—March 1972.*

No. 2-ETC(PN)/71.—It has been decided that the export policy for Iron & Steel (other than cast iron pipes and fittings) and for ferro-alloys for the licensing period April, 1971—March, 1972 will be as in the enclosed statement (Annexure).

ANNEXURE

Export Policy in respect of S. No. 9(*ii*) & 18 of Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 i.e., (*a*) Iron & Steel other than Cast Iron pipes and Fittings and (*b*) Ferro Alloys.

S. No. as in Pt. B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968	Name of the commodity, as in Part B of Schedule I	Licensing period April 1971-March, 1972.	Licensing Policy	Remarks
9	Metals, the following : (*ii*) Iron & Steel other than cast iron pipes and fittings :—			Export of fabricated items of steel is not controlled and as such no licence is required for their export.
(*a*)	1. Slabs 2. Blooms 3. Plates 4. Tinplates 5. Chequered plates 6. Skelp 7. G.P. Sheets 8. C.R. sheets and coils 9. HR Sheets and coils 10. Wheels and tyres 11. Axles 12. Sleeper (Pressed) 13. High Tensile Wire 14. N. S. Wire 15. G. I. Wire 16. Wire-rods other than mild steel wire rods.		Not allowed	
(*b*)	1. Pig iron (Basic & Foundry Grade) 2. Ingots 3. Billets 4. Heavy & Medium Structurals (rolled by main producers). 5. Rails 6. G. C. Sheet			Export licences will be issued to main producers only.
	7. Mild Steel Bars and rods including wire rods (other than those mentioned in Schedule 'B', Appendix 41 of Import Trade Control Policy, 1971-72), cold twisted bars and light structutrals (rolled by re-rollers).			Export licences will be issued to (h) main producers (*a*) re-roller and (*c*) The State Trading Corporation.
8.	All other items			On merits
18	Ferro Alloys :			
	(*i*) Ferro Manganese (other than Ferro-Manganese containing less than 0·05% Carbon)/Ferro Manganese Slag.			Canalised through MMTC.
	(*ii*) Ferro-Chrome (other than Ferro-Chrome containing less than 0·03 per cent Carbon and Nitrogen bearing Ferro-Chrome)/Silico crome			On Merits
	(*iii*) Others			Do.

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports and Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1971

विषय अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की लाइसेंस अवधि के दौरान लोहा तथा इस्पात और लौह मिश्रधातु के लिए निर्यात नीति

संख्या 2—ई० टी० सी० (पी० एन०)/71, यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की लाइसेंस अवधि के दौरान लोहा तथा इस्पात (ढले हुए लोहे पाइपों तथा फिटिंग्स के अलावा) तथा लौह मिश्रधातु के लिए नीति संलग्न विवरण (अनुबन्ध) के अनुसार होगी।

अनुबन्ध

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची—1, के भाग बी की क्रम सं० 9(ii) तथा 18 के विषय में अर्थात् (ए) ढले हुए लोहे की पाइपों तथा फिटिंग्स तथा (बी) लौह मिश्रधातुओं के विषय में निर्यात नीति।

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची—1 के भाग 'बी' में दिये गये के अनुसार क्रम सं०	अनुसूची-1 के भाग बी में दिए गए के अनुसार पण्य वस्तु का नाम	लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1971—मार्च 1972	लाइसेंस नीति	टिप्पणी
9	(ii) ढले हुए निम्नलिखित		स्वीकृत नहीं है।	इस्पात से बनी मदों का निर्यात नियन्त्रित नहीं है और इस लिए इनके निर्यात के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।
	(1) ढले हुए लोहे की पाइपों तथा फिटिंग के अलावा लोहा तथा इस्पात			
	(ए) 1 सिल्लियां			
	2 ब्लूमस			
	3 प्लेटें			
	4 टिनप्लेट			
	5. चारखानेदार प्लेटें			
	6 स्कैल्प			
	7 जी० पी० शीट्स			
	8 सी० आर० शीट्स तथा लच्छे			
	9 एच० आर० शीट्स तथा लच्छे			

1	2	3	4	5
	10 पहिए तथा टायरें 11. एक्सिलस 12. सिलिपर (दबाए हुए) 13. उच्च तनन तार 14. एम० एस० तार 15. जी० आई० तार 16. नर्म इस्पात से बनी तार के अतिरिक्त तार छड़ें ।			
	(बी) 1. पिग आयरन (मूल तथा फाउंड्री वर्ग)		मुख्य उत्पादनकर्त्ताओं तथा अन्य उत्पादनकर्ताओं को निर्यात लाइसें जाएंगे ।	
	2. सिल्लिया 3. बिलेट्स 4. भारी तथा मध्य ढांचे (मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा रोल किए गए) 5. लाईंस 6. जा० सी० शीट		केवल मुख्य उत्पादनकर्त्ताओं को निर्यात लाइसेंस जारी किए जाएंगे ।	
	7. नर्म इस्पात शलाखें तथा छड़ें जिनमें तार रोडें भी शामिल हैं (आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1971-72 का अनसूची 'बी' के परिशिष्ट 41 में उल्लिखित के अलावा) फोल्ड टविसटिड शलाखें तथा हल्के ढांचे वाली (रि-रोलर द्वारा रोल की गई)।		निर्यात लाइसेंस (क) मुख्य उत्पादनकर्ताओं (ख) रि-रोलर्ज तथा राज्य व्यापार निगम को जारी किए जाएंगे ।	
	8. अन्य सभी मदें ।		पात्रता के आधार पर ।	

1	2	3	4	5
18.	लोह मिश्र धातुएं :—			
	(i) फेरो-मैंगनीज (फैरो-मैंगनीज जिन के अन्दर 0.05 प्रतिशत से कम कार्बन है उसके अलावा)/ फैरों-मैंगनीज स्लैग ।		खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सरणीबद्ध है ।	
	(ii) फैरो क्रोम (फैरो क्रोम जिन के अन्दर 0.03 प्रतिशत से कम कार्बन है तथा नाइट्रोजन वाली फैरो क्रोम के अलावा)/ सिलिको क्रोम		पात्रता के आधार पर ।	
	(iii) अन्य		वही	

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971